



# पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)



NAAC ACCREDITED "A"

क्रमांक: 5048 /अका. / का.प. / 2017

रायपुर, दिनांक 07/10/2017

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बत्तीसवीं\* बैठक गुरुवार, दिनांक 05.10.2017 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति सचिवालय के बैठक कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:

**प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति – अध्यक्ष**

1. डॉ. शैलेन्द्र सराफ	– सदस्य	8. डॉ. डी.एन. वर्मा	– सदस्य
2. डॉ. (श्रीमती) शैल शर्मा	– सदस्य	9. श्री एस.के. चक्रवर्ती	– सदस्य
3. डॉ. (श्रीमती) मोयना चक्रवर्ती	– सदस्य	10. डॉ. बी.एन. तिवारी	– सदस्य
4. डॉ. के.एल. वर्मा	– सदस्य	11. श्री नरेश चन्द्र गुप्ता	– सदस्य
5. डॉ. सोम कुमार चटर्जी	– सदस्य	12. प्रो. आर.पी. दीक्षित	– सदस्य
6. डॉ. चन्द्र शेखर चौबे	– सदस्य	13. डॉ. लक्ष्मीकांत भारती	– सदस्य
7. डॉ. नरेन्द्र पटनायक	– सदस्य		

**श्री धर्मेश कुमार साहू (I.A.S.) कुलसचिव – सचिव**

**कार्यवृत्त :**

## विषय सूची

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 24.08.2017 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना।

**निर्णय :** विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 24.08.2017 के कार्यवृत्त का अनुमोदन प्रदान किया गया।

2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 24.08.2017 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

**निर्णय :** विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 24.08.2017 की बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण किया गया।

**प्रशासन विभाग से संबंधित प्रस्तावः—**

3. डॉ. एस.के. सिंह, प्राध्यापक, सांख्यिकी अध्ययन शाला के धारणाधिकार (दिनांक 29.06.2017 से 30.06.2020 तक) स्वीकृति के संबंध में।

**निर्णय :** डॉ. एस.के. सिंह, प्राध्यापक, सांख्यिकी अध्ययन शाला के धारणाधिकार (दिनांक 29.06.2017 से 30.06.2020 तक) स्वीकृत किया गया।

\* स्वर्ण जयंती वर्ष 2014 से

4. जैविकी अध्ययनशाला का नाम School of Studies in Bio-Science के स्थान पर School of Studies in Life-Science किये जाने की अनुमोदन के संबंध में।

**निर्णय :** जैविकी अध्ययनशाला का नाम **School of Studies in Bio-Science** के स्थान पर **School of Studies in Life-Science** किये जाने की अनुमोदन किया गया।

5. विश्वविद्यालय के विभिन्न शाखाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अतिरिक्त दिये जा रहे पारिश्रमिक से संबंधित अरितिकत भुगतान संबंधी आदेशों का पुनः परीक्षण कर कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत।

**निर्णय :** निर्णय लिया गया कि अन्य विश्वविद्यालयों से जानकारी प्राप्त कर, तुलनात्मक सारणी का कुलपति जी द्वारा गठित समिति से परीक्षणोपरांत कार्यपरिषद् में प्रस्तुत किया जावे।

#### भौतिकी एवं खगोल भौतिकी अध्ययनशाला से संबंधित प्रस्तावः—

6. भौतिकी एवं खगोल भौतिकी अध्ययनशाला द्वारा DST-FIST Programme के अंतर्गत Constant Current Electrometer एवं पांच अन्य उपकरण रूपये 32,90,754.00 के व्यय पर क्रय करने हेतु विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

**निर्णय :** भौतिकी एवं खगोल भौतिकी अध्ययनशाला द्वारा **DST-FIST Programme** के अंतर्गत **Constant Current Electrometer** एवं पांच अन्य उपकरण रूपये 32,90,754.00 के व्यय पर क्रय करने हेतु विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा के अनुमोदन किया गया।

#### वित्त विभाग से संबंधित प्रस्तावः—

7. डॉ० गौरीशंकर सेवानिवृत्त आचार्य, सांख्यिकी अध्ययनशाला के अवकाश नगदीकरण की राशि रूपये 14,73,584.00(चौदह लाख तिहत्तर हजार पाँच सौ चौरासी रूपये) मात्र के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

**निर्णय :** डॉ० गौरीशंकर सेवानिवृत्त आचार्य, सांख्यिकी अध्ययनशाला के अवकाश नगदीकरण की राशि रूपये 14,73,584.00(चौदह लाख तिहत्तर हजार पाँच सौ चौरासी रूपये) मात्र के भुगतान की स्वीकृत किया गया।

#### संचालक शारीरिक शिक्षा विभाग से संबंधित प्रस्तावः—

8. क्रीड़ा समिति की बैठक, दिनांक 08.09.2017 के कार्यवृत्त का अनुमोदन पर विचार।

**निर्णय :** क्रीड़ा समिति की बैठक, दिनांक 08.09.2017 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

#### अकादमिक विभाग से संबंधित प्रस्तावः—

9. स्वामी अजय गुरुदेव इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, ग्राम—मुड़पार, जिला—रायपुर में प्राचार्य की नियुक्ति के संबंध में समिति की अनुशंसा (बंद लिफाफा) पर विचार करना।

**निर्णय :** स्वामी अजय गुरुदेव इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, ग्राम—मुड़पार, जिला—रायपुर में डॉ. आर.एन. बघेल, सेवानिवृत्त प्राध्यापक को 1 वर्ष के लिये संविदा प्राचार्य नियुक्त किये जाने संबंधी समिति की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

## पूरक विषय सूची

1. विनियम 108 में संशोधन पर विचार करना।

**निर्णय :** विनियम क्रमांक 108 के भाग-4 में निम्नानुसार संशोधन किया जाय –

(1) विनियम क्रमांक 108 के भाग 4 के खण्ड “क्रय की गई वस्तु का भण्डारण एवं वितरण” में उपखण्ड “विशेष उपबंध” के अंत में निम्न पद जोड़ा जाये –

छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम 2002 समय–समय पर संशोधन सहित विश्वविद्यालय में वस्तुओं/सेवाओं के क्रय/विक्रय के लिये लागू होगा।

(2) विनियम 108 के भाग 4 के “क्रय की प्रक्रिया” खंड में जहाँ–जहाँ पर 10000=00 लिखा है उसके स्थान पर 20000=00 रु. प्रतिस्थापित किया जाय।

2. अधिवक्ता पैनल का पुनर्निधारण पर विचार करना।

**निर्णय :** अधिवक्ता पैनल का पुनर्निधारण पर विचार करते हुए निम्नांकित अधिवक्ता को विश्वविद्यालयीन पैनल के लिये अनुमोदित किया गया –

- |                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| (1) श्री एन.के. व्यास     | (4) श्री निरज चौबे (लॉ फर्म) |
| (2) श्री राजीव श्रीवास्तव | (5) श्री मनोज दुबे           |
| (3) श्री अरुण साव         | (6) श्री रमाकांत मिश्रा      |

3. अपीलीय बोर्ड के गठन पर विचार करना।

(अ) अधिसूचना क्रमांक 4171/अका./2017 दिनांक 02.06.2017 के अनुसार अपीलीय छात्रों से ली जाने वाली फीस एवं विषय विशेषज्ञों का देय मानदेय राशि पर विचार करना।

(ब) अपीलीय बोर्ड के रेगुलेशन के अनुमोदन पर विचार करना।

**निर्णय :** अधिसूचना क्रमांक 4171/अका./2017 दिनांक 02.06.2017 के अनुसार अपीलीय छात्रों से ली जाने वाली फीस एवं विषय विशेषज्ञों का देय मानदेय राशि का प्रस्ताव औचित्य के साथ आवेदन पत्र तथा रिपोर्ट के लिये, प्रारूप के साथ, आगामी कार्यपरिषद् में प्रस्तुत किया जाए।

4. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय शोध छात्रवृत्ति के अध्यादेश 9 (1)(B) के अनुसार चयन समिति के गठन पर विचार करना।

**निर्णय :** पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय शोध छात्रवृत्ति के अध्यादेश 9 (1)(B) के अनुसार सत्र 2017–18 के लिये निम्नलिखित संकायाध्यक्षों की चयन समिति गठन किया गया :–

- (1) डॉ. (श्रीमती) शैल शर्मा, संकायाध्यक्ष, कला संकाय,
- (2) डॉ. राजीव चौधरी, संकायाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा संकाय
- (3) डॉ. (श्रीमती) मोयना चक्रवर्ती, संकायाध्यक्ष, जीव विज्ञान संकाय

5. कार्यपरिषद् द्वारा स्वीकृत 2 NCNR परियोजना में POST DOCTORAL FELLOWSHIP के लिये योग्यता निर्धारण पर विचार करना।

**निर्णय :** कार्यपरिषद् द्वारा स्वीकृत 2 NCNR परियोजना में POST DOCTORAL FELLOWSHIP के लिये योग्यता निर्धारण के लिये प्रस्तावित वांछनीय योग्यता का अनुमोदन किया गया।

**The National Centre for Natural Resources, Pt. Ravishankar Shukla University will appoint TWO PDF (Post Doctoral Fellow) as per the norms of appointment Adhoc teachers ( ). Various sophisticated instruments are available in NCNR. We need some specific persons who deals with these instruments for medicinal plant research etc.**

#### **Desirable Qualification**

- Preference will be given to candidates having experience of working with sophisticated equipments, such as NMR, LC-MS-MS, HPLC, HPTLC, RT-PCR, AAS, FTIR, UV-V is/Fluorescence spectrophotometers, Super Critical Fluid Extraction Unit (SFE).
- Expertise in planning and executing the work in the area of natural products isolation and their testing *in vivo* and *vitro*
- Knowledge of Extraction, isolation, purification, chemical transformation and scaling up of natural products
- Experience of conducting survey work in tribal area of Chhattisgarh, knowledge about autoimmune disease and other chronic disease
- Knowledge about the plant taxonomy, seed behaviour and seed conservation
- Knowledge of Computer and data management using different statistical software
- Experience in the management of a research laboratory involved in plant research
- Experience in project, manuscript and report writing etc.

6. सेमेस्टर परीक्षाओं में विश्वविद्यालय के क्षेत्रांतर्गत प्रवेशित छात्र/छात्राओं द्वारा एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में स्थानांतरण पर विचार करना।

**निर्णय :** सेमेस्टर परीक्षाओं में विश्वविद्यालय के क्षेत्रांतर्गत प्रवेशित छात्र/छात्राओं द्वारा एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में स्थानांतरण पर, छात्रों द्वारा संबंधित महाविद्यालयों से अनापत्ति पत्र एवं रु. 100/- प्रक्रिया शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् गुण-दोषों पर विचार करते हुए महाविद्यालय स्थानांतरण हेतु परीक्षा फार्म भरने की अधिसूचना जारी करने के पूर्व, महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर परीक्षा विभाग के द्वारा अनुमति दी जावेगी।

7. डॉ. अनिल कुमार पाण्डेय, प्रोफेसर पद पर पदभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 31.10.2017 तक समय प्रदाय के संबंध में विचार करना।

**निर्णय :** डॉ. अनिल कुमार पाण्डेय, प्रोफेसर पद पर पदभार ग्रहण करने हेतु अंतिम रूप से दिनांक 16.11.2017 तक अनुमति दी गई।

8. विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययनशालाओं में सेमीनार हॉल को उनके क्षमता के अनुसार किराये में दिये जाने हेतु किराया निर्धारण के लिये समिति गठित करने के संबंध में विचार करना।

**निर्णय :** विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययनशालाओं में सेमीनार हॉल को उनके क्षमता के अनुसार किराये में दिये जाने हेतु किराया निर्धारण के लिये निम्नानुसार समिति गठित किया गया—

- (1) वित्त नियंत्रक
- (2) चंत्री, विश्वविद्यालय
- (3) लोक निर्माण विभाग द्वारा मनोनित एक सदस्य एवं
- (4) वरिष्ठतम संकायाध्यक्ष

9. पूर्वी क्षेत्र/अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता— केनोइंग एण्ड कायकिंग (पु. / म.), लान टेनिस (म.), हैंड बाल (म.), नेटबाल (म.) प्रतियोगिता में भाग लेकर प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों एवं मैनेजर तथा कोच को नियमानुसार पुरस्कार राशि रु. 598000/- भुगतान किये जाने के संबंध में विचार करना।

**निर्णय :** पूर्वी क्षेत्र/अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता— केनोइंग एण्ड कायकिंग (पु. / म.), लान टेनिस (म.), हैंड बाल (म.), नेटबाल (म.) प्रतियोगिता में भाग लेकर प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों एवं मैनेजर तथा कोच को नियमानुसार पुरस्कार राशि रु. 598000/- भुगतान की स्वीकृति दी गई।

10. विश्वविद्यालय द्वारा श्री निरंजन महावर के साथ म्यूजियम से संबंधित हुए MOU का सूचना ग्रहण कर अनुमोदन करना।

**निर्णय :** विश्वविद्यालय द्वारा श्री निरंजन महावर के साथ म्यूजियम से संबंधित हुए MOU का सूचना ग्रहण कर अनुमोदन किया गया।

11. माइक्रो एनालिस्ट/तकनीकी अधिकारी के पद को द्वितीय श्रेणी का पद घोषित किये जाने के संबंध में विचार करना।

**निर्णय :** छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ 1-5/2017/38-2 दिनांक 27.09.2017 के अनुसार विभागीय आदेश क्रमांक एफ 3-50/2005/उ.शि./38 दिनांक 01.05.2006 द्वारा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय हेतु स्वीकृत सेटअप में सरल क्रमांक 22 एवं 26 में तकनीकी अधिकारी/माइक्रो एनालिस्ट के पद को सेवा श्रेणी तीन के अंतर्गत दर्शाया गया है, राज्य शासन एतद्वारा संशोधित करते हुए माइक्रो एनालिस्ट/तकनीकी अधिकारी पद को द्वितीय श्रेणी का पद घोषित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।


उपरोक्त स्वीकृति का अनुमोदन किया गया।

12. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 04.10.2017 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 04.10.2017 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

  
कुलपति  
अध्यक्ष

  
कुलसचिव  
सचिव

पृ. क्रमांक: 5049 / अका. / का.प. / 2017

रायपुर, दिनांक 07 / 10 / 2017

प्रतिलिपि :-

- माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
- कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
- अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
- संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
- वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
- कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
उप कुलसचिव (अका.)